निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 540) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं० 08/आरोप–01–29/2014–7433–सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 जून 2017

श्री रंजन कुमार चौहान, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–542/11 के विरूद्ध वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान के पद पर पदस्थापन के दौरान कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करने से संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–602 दिनांक 02.03.2015 द्वारा आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ।

उक्त आरोप, प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–7309 दिनांक 24.05.2016 द्वारा श्री चौहान से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री चौहान के विरूद्ध आरोप है कि वे दिनांक 11.02.2015 को कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उन्हें आवंटित किये गये कार्य संबंधी पत्र का तामिला कराने हेतु जब अनुसेवी परिसदन (जहाँ वे ठहरे थे) गया और उनके कमरे को खुलवाने का प्रयास किया तो परिसदन के अन्य कर्मियों के साथ उसके द्वारा काफी प्रयास के बाद भी श्री चौहान ने दरबाजा नहीं खोला। इसकी जानकारी अनुसेवी ने जिला पदाधिकारी, सिवान को दिया तो जिला पदाधिकारी स्वयं परिसदन पहुँचे तो उन्होंने पाया कि श्री चौहान बिस्तर पर बेसुध पड़े हुए है। कमरे में शराब की बोतल थी और शराब की गंध आ रही थी। नशे के कारण श्री चौहान न खड़ा हो पा रहे थे और न ही बोल पा रहे थे। जिला पदाधिकारी ने इसकी विडियोग्राफी भी करवायी। साथ ही चिकित्सक को बुलाकर उसी समय उनके खून का नमूना लिया गया एवं जाँच में भेजा गया। प्रयोगशाला जाँच में उनके खून में अल्कोहल लिये जाने की पुष्टि हुई। इस प्रकार उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3 एवं 4 के प्रतिकूल पाया गया। इस संबंध में श्री चौहान ने अपने स्पष्टीकरण में अपने उपर लगाये गये आरोपों का प्रतिकार करते हुए उल्लेख किया है कि उन्होंने बिमारी की दवा ली थी और उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है।

आरोप एवं स्पष्टीकरण के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री चौहान ने अपने स्पष्टीकरण में सही तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। कार्यालय अवधि में शराब का सेवन करना एवं बेसुध हो जाना निःसदेह ही सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय आचरण है। इसके अतिरिक्त अन्य पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रहते हुए पूर्व में भी उन्होंने शराब की नशे में अपनी लाईसेन्सी बन्दुक से पड़ोसी पर गोली चालाये जाने संबंधी एक मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था और वे निलंबित भी हुए थे। इसी प्रकार नशे की हालत में के पूर्णियाँ के जीरो माईल पर थाना प्रभारी के वाहन चेकिंग के दौरान दुर्व्यवहार करने के आरोप में भी उनपर कार्रवाई की गयी थी। उस समय भी वे नशे के हालत में पाये गये थे। पूर्व के घटनाक्रम से भी स्पष्ट होता है कि ये आदतन शराब का नशा करने एवं नशे की हालत में गलत कृत्य के लिए दोषी पाये

गये है। विषयगत मामला श्री चौहान के सिवान जिला के पदस्थापन काल से संबंधित है, जिसमें चिकित्सीय जाँच में शराब के सेवन की पुष्टि भी हुई है। अतएव श्री चौहान का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री चौहान, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–542/11 के विरूद्ध कार्यालय अवधि में शराब के नशे में बेसुध रहने का आरोप चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित होता है। श्री चौहान का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–4 का उल्लंघन है।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति दी जाती है :–

(1) निन्दन (आरोप वर्ष 2014–15 के प्रभाव से)।

(2) प्रोन्नति पर 04 (चार) वर्षो के लिए रोक, प्रोन्नति देय तिथि से।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)540+571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in